# कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कटनी (मध्य प्रदेश)

क्रमांक/ 3741 / COVID-19/2021 कटनी, दिनांक 08/05/2021

## //आदेश//

वर्तमान में कटनी जिले में कोविड-19 के केसों में लगातार वृद्धि होने के कारण कोरोना वायरस के रोकथाम एवं बचाव हेतु शासन द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों का कड़ाई से पालन करने हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक 3685/आर.डी.एम./2021 कटनी दिनांक 06.05.2021 के माध्यम से सम्पूर्ण जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अन्तर्गत धारा 144 प्रभावशील किया गया है। चूंकि यह संज्ञान में आया है कि आंध्रप्रदेश तथा तेलंगाना राज्य में कोरोना वायरस के Mutation के प्रकरण सामने है जो घातक प्रकृति के हैं। उक्त विषाणुजनित वायरस के संक्रमण को नियंत्रण करने के उद्देश्य से तथा लोक स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30 में निहित प्रावधानों एवं म.प्र. पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 में उल्लिखित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एवं म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक-एफ 10-02/2020/17 मेडी-2, भोपाल दिनांक 07 मार्च 2020 के परिप्रेक्ष्य में, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/आईडीएसपी/2020/272, दिनांक 24.03.2020 तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस COVID-19 महामारी की रोकथाम हेतु जारी किए गये कंटेनमेंट प्लान में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में कटनी जिले में आंध्रप्रदेश एवं तेलंगाना राज्य से आने वाले व्यक्तियों की जांच कराये जाने हेतु समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/इंसीडेंट कमांडर द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराई जावे:-

1. कटनी जिले में आंध्रप्रदेश, तेलंगाना राज्य से यथा रेल, बस, कार, ट्रक इत्यादि संसाधनों से आने वाले यात्रियों/व्यक्तियों अपने गंतव्य स्थान पर न पहुंचे उन्हें रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड, चैक प्वाईट पर रोककर इंसीडेंट कमाण्डर द्वारा 14 दिवस के लिए क्वारेंटाईन कराया जावें।

2. [redacted] आंध्रप्रदेश, तेलंगाना से आने वाले व्यक्तियों/यात्रियों की प्रथम दृष्टया कोविड-19 टेस्ट अनिवार्य रूप से कराया जावे। यदि किसी व्यक्ति/यात्री की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसे कोविड केयर सेंटर में उपचार हेतु भर्ती कराया जावे तथा जिन व्यक्तियों/यात्रियों की रिपोर्ट निगेटिव आती है तो उन्हें होम क्वारेंटाईन कराया जावे।

उपरोक्त दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

(प्रियंक मिश्रा) (IAS)
जिला मजिस्ट्रेट
जिला कटनी (म.प्र.)

प्र0क्रमांक/ 3741 /COVID-19/2021 कटनी दिनांक- 08-05.2021

प्रतिलिपिः-

01. कमिश्नर महोदय जबलपुर संभाग जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
02. पुलिस अधीक्षक कटनी को ओर सूचनार्थ ।
03. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कटनी को सूचनार्थ।
04. उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कटनी/ ढीमरखेडा/ विजयराघवगढ/ बहोरीबंद की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही करने हेतु।
05. नगर पुलिस अधीक्षक कटनी की ओर सूचनार्थ।
06. आयुक्त नगर पालिक निगम की ओर सूचनार्थ।
07. जिला जनसंपर्क अधिकारी कटनी की ओर सूचनार्थ।

जिला दण्डाधिकारी
जिला कटनी

जिला मजिस्ट्रेट
जिला कटनी (म.प्र.)